

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/2024-07425

जयपुर, दिनांक: 10/7/26

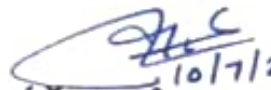
-:आदेश:-

नगरीय विकास विभाग के निम्नांकित अभियन्ताओं का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पद	कहा से	कहाँ को
1.	सागर गर्ग	AEN	कोटा विकास प्राधिकरण	कोटा विकास प्राधिकरण (पदोन्नति उपरान्त)
2	मुकेश कुमार वर्मा	JEN	नगर विकास न्यास, बालोतरा	जयपुर विकास प्राधिकरण
3	विमल माहेश्वरी	JEN	नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
4	परमेश्वर जेलिया	JEN	आदेशों की प्रतीक्षा में (मुख्यालय नगरीय विकास विभाग)	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर
5	रोहिताश जाटव	JEN	जयपुर विकास प्राधिकरण	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
6	दुर्गेश कुमार पारीक	JEN	जयपुर विकास प्राधिकरण	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
7.	अरुण कुमार	JEN	जयपुर विकास प्राधिकरण	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
8	गजानन्द रोहिल	JEN	नगर विकास न्यास, सीकर	नगर परिषद, प्रतापगढ़
9	मनोहर लाल	JEN	नगर विकास न्यास, अलवर	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त अलवर
10	टीकम चन्द	JEN (Ele.)	जयपुर विकास प्राधिकरण	नगर विकास न्यास, अलवर
11	किशोर इसरानी	JEN	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	अजमेर विकास प्राधिकरण
12	करण राजपुरोहित	JEN	राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड नागौर	खण्ड बीकानेर, राजस्थान आवासन मण्डल मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर
13	अमिषेक पुरोहित	JEN	आदेशों की प्रतीक्षा में (मुख्यालय नगरीय विकास विभाग)	जोधपुर विकास प्राधिकरण

14	श्याम कुमार मालू	JEN	नगर निगम, जयपुर	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर
15	खेमराज भीणा	JEN	नगर विकास न्यास, बाडमेर	नगर विकास न्यास, बालोतरा
16	संजय कुमार अग्निहोत्री	JEN	नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर	नगर निगम, भरतपुर
17	दिनीत तिवारी	JEN	नगर विकास न्यास, अलवर	नगर निगम, भरतपुर

आज्ञा से,


10/7/26
(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास।
4. निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. संबंधित अभियन्ताओं को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


शासन उप सचिव-तृतीय